फर्द अहकाम

गोविन्दराम बनाम धन्नालाल वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
केस सं0 66/2023

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25.07.2023	अधिवक्ता श्री इलियास बाबू रंगरेज द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सास्ति हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1लगा034 को पाबंद कराने तथा विवादग्रस्त भूमि के प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत नही करने, निर्माण नहीं करने, रहन बैय मुंतकिल, हस्तान्तरण, बेचान दान इत्यादि नहीं करने एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं शपथ पत्र प्रार्थी से संतुष्ट होकर अप्रार्थी संख्या 1लगा034 के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 610 रकबा 4.6660 है0, वाके ग्राम ढाणी नागान पटवार हल्का ढाणी नागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 कि विवादग्रस्त भूमि के प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत नही करे, निर्माण नहीं करे, रहन बैय मुंतकिल, हस्तान्तरण, बेचान दान इत्यादि नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण को इस बाबत कोई उज एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.09.2023 को पेश हो।	
	5/9/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उप.। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को विड्रो किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र विड्रो किए जाने की अनुमति दी जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर